न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़।

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–218/2018

जसकरण सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति रामगढ़िया, निवासी पक्का भादवां, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

––वादी

बनाम

1. सुखदेव सिंह पुत्र श्री लिछमण सिंह जाति रामगढ़िया, निवासी पक्का भादवां, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
2. संदीप कौर पुत्री श्री सुखदेव सिंह पत्नी श्री राजपाल सिंह जाति रामगढिया निवासी गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. कर्मपाल कौर पुत्री श्री सुखदेव सिंह पत्नी श्री हंसराज सिंह जाति रामगढिया निवासी गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. मीना कुमारी पुत्री श्री सुखदेव सिंह पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह जाति रामगढिया निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. जसविन्द्र कौर पुत्री श्री सुखदेव सिंह पत्नी श्री विरेन्द्र सिंह जाति रामगढिया निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा गोलूवाला तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1–श्री भवानी सिंह निर्बाण अधिवक्ता–वादी की ओर से

2–श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से

:: निर्णय ::

दिनांक:– 8.8.18

वादपत्र के संक्षेप रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नंबर–15 जे.डी.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–133/124 पत्थर नंबर 49/241 (71) किला नंबर–15 ता 24 कुल तादादी 2.530 हैक्टेयर व इसी चक के खाता संख्या 130/167 के पत्थर नंबर 49/241 (71) किला नंबर 25 व चक 14 जे.डी.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 107/106 पत्थर नंबर 55/242 (60) किला नंबर 16/2, 24/1, 25, पत्थर नंबर 53/243

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

(63) किला नंबर 1 ता 10, 11/1, 12/2, 13/1, 14/1, 15/1 कुल 3.732 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की कृषि भूमि पैतृक सम्पति है जो प्रतिवादी संख्या 1 को विरास्तन प्राप्त हुई है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति होने के कारण उसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का जन्म से हक व अधिकार है। उक्त कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 से 5 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तर्क किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 उक्त भूमि में अपना कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है। वादपत्र की धारा 2 में वर्णित कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने आपस में अच्छी मंदी के हिसाब से घरू तौर पर बंटवारा किया हुआ है। बंटवारा अनुसार वादी कोचक 14 जे.डी.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 107/106 पत्थर नंबर 53/243 (63) किला नंबर 1 ता 10, 11/1, 12/2, 13/1, 14/1, 15/1 कुल 3.163 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन भूमि प्राप्त हुइ। उपरोक्त कृषि भूमि वादी को अच्छी मंदी के हिसाब से घरू विभाजन में प्राप्त हुई है व घरू बंटवारा अनुसार ही वादी के कब्जा काश्त में चले आ रही है। उपरोक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादी के हक, हकूक पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इस कारण उक्त भूमि जो वादपत्र के पैरा संख्या–3(क) में वर्णित है, की वादी अपने नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने व इसी कदर खाता तकसीम करवाने का अधिकारी व दावेदार है। अतः चक 14 जे.डी.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 107/106 पत्थर नंबर 53/243 (63) किला नंबर 1 ता 10, 11/1, 12/2, 13/1, 14/1, 15/1 कुल 3.163 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प सतीपुरा में प्रस्तुत हुई। जहां वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादिया संख्या 2 से 5 ने प्रश्नगत भूमि में अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तर्क कर दिया। मुताबिक राजीनामा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने वादपत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर दिया तथा मुताबिक राजीनामा वादपत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया। उपरोक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

परिस्थितियों में वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादी को चक 14 जे.डी.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 107/106 पत्थर नंबर 53/243 (63) किला नंबर 1 ता 10, 11/1, 12/2, 13/1, 14/1, 15/1 कुल 3.163 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादपत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि चक 14 जे.डी.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 107/106 पत्थर नंबर 53/243 (63) किला नंबर 1 ता 10, 11/1, 12/2, 13/1, 14/1, 15/1 कुल 3.163 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 ने हक त्याग किया है। बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री का अमलदरामद किया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8/8/18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी {राजस्व}
हनुमानगढ़।

Scanned by CamScanner